

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-16-05-2023

विषय:- बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-131'ठ' (एकल निविदा पूछताछ) के संबंध में स्पष्टीकरण (Clarification)।

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के अंतर्गत सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निविदा से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इस क्रम में नियम-131'ठ' (यथा, 131L) में एकल निविदा पूछताछ की प्रक्रिया विहित की गई है।

सम्प्रति कतिपय प्रशासी विभागों द्वारा नियम-131'ठ' (एकल निविदा पूछताछ) में अंकित सक्षम प्राधिकार के संबंध में वित्त विभाग से परामर्श की अपेक्षा की जा रही है। सुलभ प्रसंग हेतु नियम-131'ठ' निम्नवत अवलोकनीय है :-

एकल स्रोत से अधिप्राप्ति निम्न परिस्थिति में की जा सकती है-

- उपयोगकर्ता विभाग की जानकारी में वांछित सामग्रियों का विनिर्माण एक ही विशिष्ट फर्म में होता हो।
- आपातकालीन स्थिति में वांछित वस्तुओं की खरीद एक निश्चित स्रोत से अनिवार्यतः खरीदी जानी है तथा ऐसा निर्णय का कारण अभिलिखित हो तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।
- मशीनरी या अतिरिक्त पार्ट-पुर्जों को वर्तमान संयंत्रों के सेट में मानकीकरण के लिए (सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ की राय प्राप्त कर सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन पर) आवश्यक वस्तु सिर्फ एक चयनित फर्म से खरीदी जानी हो।

टिप्पणी :-

उपनियम 131'ठ'(i) एवं 131'ठ'(iii) जैसा लागू हो के प्रावधानों के अंतर्गत एकल स्रोत से सामग्रियों की अधिप्राप्ति के पूर्व विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र में मितिकृत वस्तु प्रमाण-पत्र दिया जायेगा-

"(i) मौंग पत्रित माल में.....द्वारा विनिर्मित होते हैं।"

(ii) दूसरी बनावट अथवा मॉडल निम्न कारणों से स्वीकार्य नहीं है-

.....

.....

.....

(iii) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय प्रकोष्ठ/वित्त विभाग की सहमति-

.....द्वारा प्राप्त।

(iv) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन पत्रांक-

.....

.....

(अधिप्राप्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर, पदनाम एवं तिथि सहित)"

एकल निविदा पूछताछ के प्रावधान (यथा, नियम-131'ठ') के परिपेक्ष्य में बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के कतिपय अन्य नियमों यथा, नियम-125 (सामग्री की परिभाषा), नियम-127 (सामग्रियों के क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी) एवं नियम-128 (सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु शक्तियाँ, जिसमें विभागों को अपने स्तर से सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए पूर्ण शक्ति प्रत्यायोजित है) का अवलोकन प्रासंगिक होगा। जिससे सामग्री के साथ-साथ उसके क्रय हेतु सक्षम प्राधिकार/प्राधिकारी के संबंध में स्थिति स्पष्ट होती है। इसके साथ ही कार्यपालिका नियमावली के नियम-21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची में अंकित (ग) वित्तीय मामले में शक्तियों का प्रत्यायोजन के क्रमांक-6 को भी निम्नवत् देखा जा सकता है:-

6. कार्यालय व्यय स्वीकृत करने की शक्ति - सचिव/विभागाध्यक्ष

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-125, 127 एवं 128 के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ-साथ कार्यपालिका नियमावली के नियम-21 के अध्वधीन अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष एकल निविदा पूछताछ से संबंधित प्रावधान यथा, नियम-131ठ (i) एवं (iii) के तहत सक्षम प्राधिकार है।

परंतु यह स्पष्टीकरण बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-131ठ(ii) के लिए मान्य नहीं होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-131ठ (i) एवं (iii) के तहत अधिप्राप्ति की कार्यवाई किसी योजना के रूप में की जानी हो तो इस हेतु सर्वप्रथम वित्त विभागीय संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से योजना की स्वीकृति अपेक्षित होगी।

विश्वासभाजन,

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक:-एम-4-05/2023-4228/वि०

पटना, दिनांक-16-05-2023

प्रतिलिपि:-प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:-एम-4-05/2023-4228/वि०

पटना, दिनांक-16-05-2023

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:-एम-4-05/2023-4228/वि०

पटना, दिनांक-16-05-2023

प्रतिलिपि:-श्री संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, वित्त विशेषज्ञ, प्रभारी स्कीम शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:-एम-4-05/2023-4228/वि०

पटना, दिनांक-16-05-2023

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, वित्त विभाग, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव (संसाधन)